**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1117**

**19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**तिरूपुर टेक्सटाइल क्लस्टर की निर्यात**

**प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता**

**1117. श्रीमती कानीमोझीः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार तिरूपुर टेक्सटाइल क्लस्टर की निर्यात प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और विशेष रियायतें मुहैया कराने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; यदि हां, तो

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कपास और धागे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है क्योंकि इनके अनियंत्रित निर्यात से घरेलू बाजार में कपास और धागे की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार तिरूपुर टेक्सटाइल क्लस्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की इकाइयों के संरक्षण के लिए माल और सेवा कर से संबंधित धन की वापसी और प्रोत्साहन को वापस लिए

जाने से संबंधित मुद्दों का निपटारा कर रही है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क):** तिरूपुर टेक्‍सटाइल कलस्‍टर सहित भारत के वस्‍त्र और अपैरल के उत्‍पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने परिधानों और मेड-अप्‍स क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में राज्‍य लेवियों पर छूट (आरओएसएल), श्रम कानून सुधार, एटीयूएफएस के अंतर्गत अतिरिक्‍त प्रोत्‍साहन और आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के अंतर्गत छूट की पेशकश की जाती है। इसके अलावा, 1 नवंबर, 2017 से भारत से मर्चेंडाइज निर्यात योजना (एमईआईएस) के अंतर्गत अपैरल के लिए दरों को 2% से बढ़ाकर 4%, मेड-अप्‍स, हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प के लिए 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वस्‍त्र मूल्‍य श्रृंखला में फाइबर, यार्न और फैब्रिक जैसे उत्‍पादों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और फैब्रिक क्षेत्र के लिए पावरटेक्‍स, स्पिनिंग को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्‍नयन निधि योजना (एटीयूएफएस), सभी क्षेत्रों के लिए एकीकृत वस्‍त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के साथ-साथ विभिन्‍न योजनाओं के माध्‍यम से प्रतिस्‍पर्धी बनाया जा रहा है। बाजार सुविधा पहल (एमएआई) योजना के अंतर्गत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार ने वस्‍त्र क्षेत्र के लिए लदान पूर्व और पश्‍चात ऋण के लिए ब्‍याज समानीकरण दर को दिनांक 02.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है।

**(ख):** जी, नहीं। प्रतिबंध के माध्‍यम से निर्यातों को सीमित करना डब्‍ल्‍यूटीओ के अनुरूप नहीं है।

**(ग):** लंबित जीएसटी दावों के रिफंड के लिए सरकार द्वारा 3 विशेष रिफंड अभियान चलाए गए थे। इसके अतिरिक्‍त निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा जीएसटी पर 64 कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की गई थी जिनमें लगभग 4700 निर्यातकों/कारोबारियों ने भाग लिया था। लगभग 1323 कारोबारियों/निर्यातकों के लिए 20 जीएसटी प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए गए थे।

\*\*\*\*\*\*